

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
 (जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैंक्स नं.-0141-2222403)
 dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्र मांक : प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/18/17046

दिनांक : 16/07/2018

—: आदेश :—

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा वर्ग एवं सफाई संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:—

क्र.स.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	श्री नरेश तेजी	कनिष्ठ लिपिक	श्रीडूंगरगढ	राजलदेसर
2	श्री जीतराम झोरड	फायरमैन	सुरतगढ	राजलदेसर
3	श्री राम मीणा	फायरमैन	खेडली	डीग
4	श्री पुष्पेन्द्र सिंह मीणा	फायरमैन	नदबई	भुसाबर
5	श्रीमती रेखा मीना	फायरमैन	लालसोट	भुसाबर
6	श्री अमित/श्री हरिया	सफाई कर्मचारी	खेडली	कांमा
7	श्री हरेश/श्री विजय सिंह	सफाई कर्मचारी	खेडली	नगर
8	श्रीमती पीयूष आदिवाल /श्री जेठाराम आदिवाल	सफाई कर्मचारी	सोजत	जोधपुर
9	श्री राजपाल/श्री महावीर	सफाई कर्मचारी	हनुमानगढ	नोहर

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3(ड)()का.प्र./स्थानि/02/4128-4196 दिनांक 31.05.17 के क्रम सं0 10 पर अंकित श्रीमती अनिता यादव, फायरमैन का स्थानान्तरण नगर निगम, जयपुर से नगर पालिका बांदीकुई में किया गया पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश तुरन्त प्रभाव निरस्त किया जाता है।

उक्त कर्मचारीयो को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिए कार्यमुक्त कर शिघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट:—

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. नगर निकाय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में निदेशालय की स्वीकृति के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाया जाये।

(पवन अरोडा)
 निदेशक एवं संयुक्त
 शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एसएमई/डीएलबी/18/17047-075 दिनांक : 16/07/2018

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. महापौर/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
4. समस्त उप निदेशक क्षेत्रीय।
5. संबंधित कर्मचारी।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)